सेबी का बचाव : सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सेबी की जांच

द हिंदू

पेपर- III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

अडानी समूह की कंपनियों पर शेयरों (स्टॉक) की कीमतों में हेराफेरी सहित एक अमेरिका-स्थित लघु विक्रेता (शोर्ट सेलर) द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर दायर विभिन्न याचिकाओं के एक समूह पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गेंद को सीधे बाजार नियामक के पाले में फेंक दिया है। अदालत ने व्यापक जनहित की रक्षा से संबंधित याचिकाकर्ताओं की अपील को अपनी दूरंदेशी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की "नियामक नीतियों पर उसके खुद के ज्ञान" के अधीन करने का विकल्प चुना है। हैरतअंगेज तरीके से, पीठ ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता और संबंधित पक्ष के लेन-देन से जुड़े संभावित उल्लंघनों के निर्धारण के उन बुनियादी सवालों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिन्हें अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने मई 2023 की अपनी रिपोर्ट में 'सेबी और अदालत के बीच के मामले' के रूप में छोड़ने का विकल्प चुना था। इसके बजाय पीठ ने उन गुजारिशों को नजरअंदाज कर दिया है जिसमें अदालत से सेबी को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियम और लिस्टिंग के दायित्वों और प्रकटीकरण से जुडी शर्तों में अपने संशोधनों को रद्द करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था। ये संशोधन इस नियामक संस्था की विफलता से संबंधित याचिकाकर्ताओं की दलीलों के केंद्र में थे और याचिकाकर्ताओं की गुजारिशों को पूरी तरह से इस आधार पर खारिज कर दिया कि न तो "किसी किस्म की अवैधता" थी, न ही मानदंड "मनमौजी, मनमाने या संविधान का उल्लंघन करने वाले" थे।

इस फैसले ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अपनी जनवरी 2023 की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की तह तक जाने के सेबी के रवैये को लेकर निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए भी कुछ नहीं किया है। इस नियामक संस्था के किसी भी निष्कर्ष पर विस्तार से गौर किए के बिना, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि "सेबी ने अदानी समूह से जुडी 24 जांचों में से 22 पूरी कर ली हैं" और बाकी दो जांचों का पूरा होना "विदेशी नियामकों से मिलने वाले इनपुट के इंतजार में लंबित है"। पीठ ने सेबी को इन्हें "शीघ्रता से" पूरा करने का निर्देश दिया है। यों तो एक 'विशिष्ट नियामक' की नीतिगत कार्रवाइयों की समीक्षा करने की अदालत की अनिच्छा समझ में आती है, लेकिन एक

अडानी-हिंडनबर्ग विवाद के बारे में:

- इस विवाद में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अदाणी समूह के खिलाफ लगाए गए लेखांकन धोखाधड़ी और स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोप शामिल हैं।
- हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस-आधारित शोध टीम है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव विश्लेषण पर ध्यान देने के साथ फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान में सेवाएं प्रदान करती है।
- विवाद जनवरी 2023 में शुरू हुआ, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने कॉर्पोरेट कुशासन और अन्य आरोपों का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की।
- रिपोर्ट में अडानी समूह की कंपनियों पर कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगे प्रमुख आरोप:

- बड़े पैमाने पर स्टॉक मूल्य में हेरफेर में संलग्न होना
- अपनी संपत्तियों का गलत मूल्य बढ़ा-चढ़ाकर बताना
- समूह द्वारा नियंत्रित विभिन्न अपतटीय शेल संस्थाओं के माध्यम से उनके 75% से अधिक शेयरों को नियंत्रित करना

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:

- केस ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं
- सेबी को बाकी जांच तीन महीने में पूरी करनी है
- सेबी और अन्य एजेंसियां हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच करेंगी
- मार्च 2023 में, ˆ ने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों और नियामक विफलता के दावों की जांच के लिए न्यायमूर्ति एएम सप्रे के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था।

बड़े समूह द्वारा कॉरपोरेट कदाचार और बाजार में हेरफेर के आरोपों की जांच में सेबी की कथित देरी के महत्वपूर्ण सवाल को वापस उसी 'वॉचडॉग' पर छोड़ने का फैसला एक किस्म के न्यायिक परहेज का संकेत देता है, जो सिर्फ व्यापक जनहित को कमजोर ही करेगा। अदालत निश्चित रूप से उन पिछले उदाहरणों से अवगत है जहां उसने पाया है कि सेबी प्रवर्तन के मोर्चे पर तत्परता नहीं दिखा रहा है। इस मामले में नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल ने भी इस पहलू को चिन्हित किया है। आखिरकार, 'न्याय न सिर्फ होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए'।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच को मंजूरी दी है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को पर्याप्त माना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the Supreme Court's judgment in the Adani Hindenburg case:

1. The Supreme Court has approved the CBI investigation in this case.
2. The Supreme Court has considered SEBI's investigation adequate.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : B

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: अडानी-हिंडनबर्ग मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बाजार के विश्वास और नियामक निरीक्षण पर इसके प्रभाव की जांच करें।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में अदानी-हिंडनबर्ग मामले और इस मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाजार के विश्वास और नियामक निरीक्षण पर इसके प्रभाव की चर्चा करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।